Jai Maa Saraswati Gyandayini
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer-reviewed, Open access & indexed, Online Journal)
Journal home page: www.jmsjournals.in, **ISSN: 2454-8367**
Vol. 08, Issue-I, July 2022

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में मौन रहने का अधिकारः एक समीक्षात्मक अध्ययन

(The Right to Silence in Freedom of Speech and Expression: An Analytical Study)

Ashish kumar Agrawal[a,*] **Prof. Dr. Seema Mandloi**[b,**]

[a] *Ph.D. Scholar, School of Legal Studies, LNCT University Bhopal Madhya Pradesh, (India)*

[b] *Professor, School of Legal Studies, LNCT University Bhopal Madhya Pradesh, (India)*

KEYWORDS

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, संवैधानिक उपबन्ध, भारतीय संविधान में मौन रहने का अधिकार, मौन भी कपट करने के तुल्य है, मौन रहना भी बालने के तुल्य है।

ABSTRACT

मौन रहना भी एक कला है जो कई बार व्यक्ति को बड़े अवसर प्रदान करवा देता है और कई बार अवसरों से वंचित भी करता है। कई बार व्यक्ति के मौन रहने के कारण वह आपराधिक गतिविधियों से भी बच जाता है। कई बार मौन रहने के कारण व्यक्ति अपनी कायरता का भी परिचय देता है। अगर भारतीय संविदा विधि, 1872 की धारा 17 का अवलोकन करें तो जहॉ बोलने का अधिकार हो और व्यक्ति न बोले तो मौन भी कपट करने के तुल्य है। यदि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1)(क) में 'बोलने के अधिकार' सम्बन्धी उपबन्ध किये गये है और 'बोलने के अधिकार' में ही 'चुप रहने के अधिकार' को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने शामिल माना है। यदि आदि काल की बात करें तो राजा महाराजाओं के दौर में आम व्यक्ति को बोलने का भी अधिकार नही होता था उस समय जो राजा महाराजाओं का आदेश हो जाता था वही सर्वोपरि होता था। लेकिन जबसे भारत में भारतीय संविधान को लागू किया गया है, जब से भारत में एक स्वच्छ प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। जिसमें भारत में अपराधियों को भी अधिकार प्रदान किये गये जिसका उदाहरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में देखने का मिलता है जिसमें अपराधियों को अपने विरूद्व गवाही देने से संरक्षण प्रदान किया गया है। जिसके अर्न्तगत अपराधियों को कानून लागू करने वाले अधिकारियों या न्यायालय के अधिकारियों व वकीलों के पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने से इंकार करने का भी अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार हमारे ही देश में नही वल्कि अन्य देशों में भी प्रचलित है। इस शोध पत्र के माध्यम से वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में मौन रहने का अधिकार भी शामिल है या नही इसका एक समीक्षात्मक अध्ययन करना है।

प्रस्तावना

भारत में संविधान लागू होने के पश्चात वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19(1)(क) में 'बोलने के अधिकार' सम्बन्धी उपबन्ध किये गये है और 'बोलने के अधिकार' में ही 'चुप रहने के अधिकार' को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने शामिल माना है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिये है। भारतीय समाज में आदि काल से ही ईश्वर में आस्था के साथ–साथ कुछ कुरीतियॉ भी शामिल थी, जैसे कि– मूर्ति पूजन, लड़कियों की शादी करने के लिए उनकी राय न जानना, सती प्रथा, बलि प्रथा, लिंग भेदभाव और भी अन्य प्रकार की कुरीतियॉ शामिल थी। जिनको समाप्त करने की कई बार समाज सेवकों द्वारा व अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कोशिश की गई। कई बार इन मुददों पर फिल्में व धारावाहिक बनाकर समाज को जागरूक करने की कोशिश की गई है। कई बार सफलता भी मिली और कई बार असफलता भी मिली। भारत के पिछले कुछ दशकों की बात करें तो लडकियों को अपने अनुसार विवाह करने व अपने वर चुनाव के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने की भी आजादी नही थी। उनके परिवार वालों के द्वारा ही वर का चुनाव करके शादी कर दी जाती थी। यदि सती प्रथा को भी ध्यान में रखकर अवलोकन किया जाये तो भी महिलाओं को सती होने के लिए भी समाज के दूसरे लोगों द्वारा उनकों उकसाया जाता था। वल्कि महिलाओं से पूछा तक नही जाता था कि वो अपने पति के साथ सती होना भी चाहती है या नही। समाज ने उनको बोलने का मौका ही नही दिया। इस प्रकार हम कह सकते है कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की कल्पना को कई बार साकार नही होने दिया जाता है। मानव अधिकारों व मूल अधिकारों के उदय के बाद मानव समाज जागरूक हुआ और अपने अधिकारों के लिए सजग भी हुआ। तत्पश्चात वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के साथ–साथ आवश्यकता पड़ने पर मौन रहने के अधिकार भी मिला। कई देशों में इससे सम्बन्धित कानूनों वर्णन मिलता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मिरांडा चेतावनी एक अच्छा उदाहरण है, चुप रहने के अपने अधिकारों के संदिग्धों को सूचित करना और उस अधिकार को छोड़ने के नतीजे मिरांडा चेतावनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अधीन प्रदत्त संरक्षण का क्षेत्र अमेरिकन संविधान में प्रदत्त संरक्षण की अपेक्षा अधिक संकुचित है। जबकि अमेरिकन संविधान में आत्म–अभिशंसन के विरूद्व संरक्षण केवल अपराधी व्यक्ति को ही नही है, वल्कि गवाहों को भी प्राप्त है। लेकिन भारतीय संविधान का अवलोकन करें तो इसमें आत्म–अभिशंसन के विरूद्व संरक्षण केवल अपराधियों को ही प्राप्त है गवाहों को नही।[1]

भारतीय विधिक दृष्टिकोणः

भारतीय विधि द्वारा समय–समय पर ''वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में मौन रहने का अधिकार भी शामिल है या नही'' के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाये गये और उनका कियान्वयन भी किया गया। जो कि निम्नलिखित है–

1. भारतीय संविधान, 1950
2. भारतीय संविदा विधि, 1872
3. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
4. भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता, 1973
5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
6. भारत के विधि आयोग की 180वीं रिर्पोट

1. भारतीय संविधान, 1950

भारत में वाक् अभिव्यक्ति की स्वंतन्त्रता के अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मूल अधिकार के रूप में स्थान दिया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1)(क) के अर्न्तगत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वंतन्त्रता में ही मौन

* **Corresponding author**
E-mail: jaiashishagarwal@gmail.com (Ashish kumar Agrawal). https://orcid.org/0000-0002-8676-1577
E-mail: dr.seema.mandloi@gmail.com (Prof. (Dr.) Seema Mandloi). https://orcid.org/0000-0002-4659-5906
DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v8n1.02
Received 15th May 2022; Accepted 25th June 2022; Available online 30th July 2022
2454-8367 /© 2022 The Authors. Published by Jai Maa Saraswati Gyandayini e-Journal (Publisher: Welfare Universe). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

रहने या चुप रहने का अधिकार भी शामिल किया है। चाहे वह व्यक्ति आरोपी हो या फिर सजा काट रहे अपराधी भी हो सकते है। भारतीय संविधान किसी में भी भेद भाव नही करता है। इसलिये भारत में अपराधियों को भी मूलअधिकारों सं वंचित नही किया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में देखने का मिल जाता है। जिसमे कहा गया है कि ''किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।'' यह अनुच्छेद अपराधियों के भी मूल अधिकारों को संरक्षित करता है। आवश्यकता पड़ने पर जब अपराधियों से उनके प्रति ही गवाही देने की बात की जाती है। तो इस क्षण अपराधी अपने ''मौन रहने के अधिकार'' को उपयोग में ला सकता है। जिसमें पुलिस और न्यायालय के अधिकारी किसी अभियुक्त या आरोपी को अपने विरूद्व साक्ष्य देने को मजबूर नही कर सकते है।

2. भारतीय संविदा विधि, 1872

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 में जो उपबन्ध किये गये है उनके अनुसार यदि स्पष्टीकरण का अवलोकन करते है, साफ–साफ वर्णन गया है कि केवल मौन रहना कपट नही है, जब तक कि वह मौन बोलने के तुल्य न हो जाये और न बोलने से किसी अन्य व्यक्ति को क्षति कारित हो न जाये तब तक उसे कपट की श्रेणी में नही रखा जा सकता।

3. भारतीय दण्ड संहिता, 1860–

भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार यदि अपराधी को अपने द्वारा संस्वकृति करनी हो तो वह स्वैच्छया कर सकता है। लेकिन उस अपराधी पर पुलिस व अन्य न्यायालय के अधिकारियों द्वारा दववा बनाकर कोई भी संस्वकृति नही करवाई जा सकती है।

4. **भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता, 1973**

भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अनुसार किसी भी जब अभियुक्त का समन मामले में विचारण किया जा रहा हो और यदि वह अभियुक्त धारा 252 के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी होने का अभिवाक् करता है तो वह मजिस्ट्रेट उक्त अभियुक्त का अभिवाक् यथा सम्भव उन्ही शब्दो में अभिलिखित करेगा जिसका प्रयोग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया है। तत्पश्चात वह स्वविवेकानुसार अभियुक्त को दोषसिद्व कर सकता है। लेकिन यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नही करता है तो उक्त अभियुक्त को दोषी होने के अभिवाक् करने के लिए बाध्य नही किया जायेगा।

भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के ''अध्याय 21–क सौदा अभिवाक्'' का वर्णन किया गया है। जिसमें अभियुक्त स्वयं स्वैच्छया से सरकारी गवाह वनता है, एवं जिस अपराध का उस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया है उस अपराध के सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त द्वारा सौदा अभिवाक् की प्रकिया के अर्न्तगत स्वैच्छया से स्वयं ही घटना या अपराध के तथ्यों का प्रकटन करता है। जबकि ये अभियुक्त की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सौदा अभिवाक् के प्रस्ताव को स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे। चाहे तो अपना मौन रहने का अधिकार को उपयोग में ला सकता है।

भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 161(2) के अनुसार यह पुलिस द्वारा भी साक्षियों की परीक्षा की जाती है। तो उस समय यदि पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपी या अभियुकत व्यक्ति से कोई ऐसे प्रश्न पूछे जाते है जिससे उसको आपराधिक आरोप, शास्ति या समपहरण की आंशंका में डाल सकते है। तो वह अपराधी अपने अधिकार का जो उसको संविधान के अनुच्छेद 20(3) द्वारा प्रदत्त किया गया है, का प्रयोग कर उक्त पुलिस अधिकारी के प्रश्नों के उत्तर देते समय वह मौन रह सकता है एवं उत्तर देने से इंकार भी कर सकता है।

भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 306 के अनुसार भी अपराधी के पास यह विकल्प है कि वह यदि न्यायालय से क्षमा दान की अपेक्षा करता है तो वह न्यायालचय को सवैच्छया से घटना के तथ्यों व सबूतो को सही रूप से प्रकट कर दे या फिर मौन रहकर क्षमादान को अस्वीकार कर लें।

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 313(2) के अनुसार भी किसी भी अपरधी की परीक्षा न्यायालय द्वारा की जा रही हो उस समय यदि अभियुक्त द्वारा ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इंकार किया जाता है या फिर उक्त प्रश्नों के उत्तर मिथ्या देता है तो वह दण्डनीय न होगा।

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 315 के अनुसार अभियुक्त सक्षम साक्षी होता है। लेकिन यदि अभियुक्त स्वैच्छया से एवं स्वयं द्वारा लिखित प्रार्थना नही करता है तो उसे साक्षी रूप में न्यायालय में उपस्थित नही किया जायेगा।

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार यदि किसी जॉच अधिकारी द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद यदि अपराधी द्वारा कोई जानकारी दी जाती है, जिससे वस्तुओं की खोज हो सकती है, और अन्य तथ्यों व सबूत के रूप में स्वीकार्य किये जा सकते है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अभियुक्त को प्रदान किये गये अधिकार के अर्न्तगत संरक्षण प्रदान नही करता है।

6. भारत के विधि आयोग की 180वीं रिपोर्ट

भारत के विधि आयोग की 180वीं रिपोर्ट में मौन के अधिकार के बारे में बताया गया है कि मौन का अधिकार आम कानून में एक सिद्धांत है। और कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अभियुक्त या आरोपी को संरक्षण प्राप्त है कि जब भी न्यायालय व अभियोजन पक्ष के व्यक्तियों द्वारा प्रश्न पूछने पर और ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने पर आरोपी स्वयं में अपराधी सिद्व हो जायेगा तो ऐसे समय में अपराधी मौन रहकर अपना बचाव कर सकता है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि मौन के अधिकार का सिद्धांत निहितार्थ है जिसका अर्थ है कि अदालतों या न्यायाधिकरणों को पार्टियों या अभियोजकों द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए आमंत्रित या प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए कि एक संदिग्ध या आरोपी केवल इसलिए दोषी है क्योंकि उसने पुलिस द्वारा या उसके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है।

भारतीय न्यायिक दृष्टिकोण

ऐसा माना जाता है कि भारत में अभियोजन पक्ष को ही आरोपी पर अपराध साबित करने का भार होता है। यदि अभियोजन पक्ष कमजोर पड़ जाता है तो इसका सीधा–सीधा फायदा अभियुक्त को मिल जाता है। क्योकि किसी व्यक्ति को पुलिस प्रथम दृष्टया शक के अधार पर ही गिरफ्तार करती है, यह विश्वास करने के कारण कि उस व्यक्ति ने अपराध किया होगा। अब यदि अपराध साबित न होने की दृष्टि में अपराधी को न्यायालयों द्वारा दोषमुक्त भी कर दिया जाता है। यदि हम भारतीय न्यायपालिका की बात करें तो भारतीय न्यायपालिका ने भारतीय समाज व अन्य देशों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। क्योकि भारतीय न्यायपालिका ने निष्पक्षता से कार्य करते हुए न्याय की स्थापना की है, जिससे आम–जन को भारतीय न्यायपालिका पर अटूट विश्वास है। भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिये गये महत्पूर्ण निर्णय–

स्टेट ऑफ बाम्बे बनाम काथूलाल[2]

माननीय न्यायलय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अभियुक्त को व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बयान देने के लिए दबाब नही डाला जायेगा। लेकिन अभियुक्त के अपने अगूठे के निशान या हस्ताक्षर के नमूने देने के लिए बाध्श्य किया जा सकता है।

नन्दनी सत्पथी बनाम पी.एल. धनी[3]

इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20(3) के अर्न्तगत प्रदान किये जाने वाला संरक्षण केवल न्यायालय तक सीमित नही है, वल्कि वहॉ तक प्राप्त है जहॉ तक दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 161(2) के अधीन पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करती है।

बी. एस. कट्टन पिल्लई बनाम रामकृष्णन[4]

के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिस परिसर में जो अपराध घटित हुआ है और वह परिसर यदि अभियुकत के कब्जे में है, तो तलाशी लेना और वहॉ वस्तुओं का अधिग्रहण करना भारतीय संविधान के से अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नही होता है। क्योकि यहॉ किसी को अपने विरूद्व साक्ष्य देने को बाध्य नही किया जाता है।

कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में [5] इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20(3) को ऐसे मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जहां बयान स्वेच्छा से दिया गया था और धमकी, प्रलोभन या वादे से प्राप्त नहीं किया गया था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य–

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में मौन रहने का अधिकार भी शामिल है का समीक्षात्मक अध्ययन करने के लिए इससे सम्बन्धित प्रश्नोंत्तरों के माध्यम से समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने की कोशिश की गई है। जिसके समबन्ध में ऑनलाइन सर्वे गूगल फॉर्म के माध्यम से की गई है जिसके परिणाम निम्नलिखित है–

प्र. 01: आपके परिवार की प्रकृति क्या/कैसी है?

उ. 01: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 13.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति ''गरीबी रेखा में'' है। तथा 60.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति ''मध्यम वर्गीय'' है।

और 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति ''उच्च वर्गीय'' है। और 7.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति ''अन्य'' है।

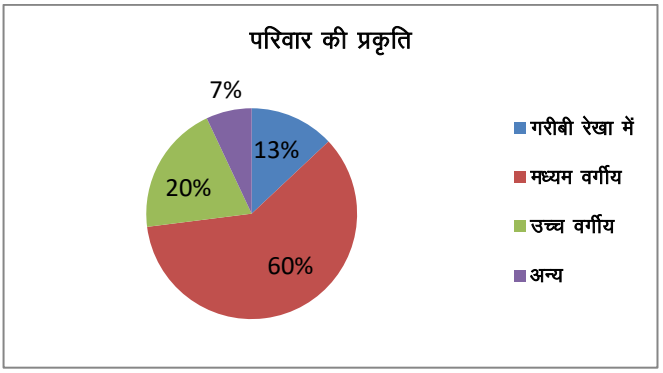

चित्र: 01

प्र. 01: आपका निवास स्थान कहाँ है?

उ. 02: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 58.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनका निवास ''शहरी क्षेत्र में'' है। तथा वही 23.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनका निवास ''ग्रामीण क्षेत्र में'' है। और वही 19.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनका निवास ''महानगर क्षेत्र में'' है।

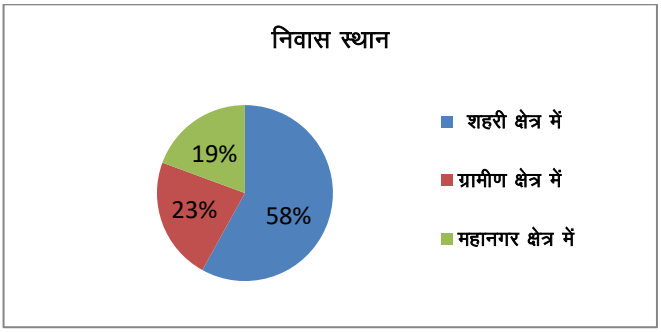

चित्र: 02

प्र. 03: क्या आप जानते है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' भी शामिल है?

उ. 03: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 33.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' भी शामिल है, और जिसका उत्तर ''हॉ'' में दिया। तथा 44.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' भी शामिल नही है, और जिसका उत्तर ''नही'' में दिया। और 15.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' भी शामिल है या नही, और जिसका उत्तर ''मुझे इसकी जरूरत नही पड़ी'' में दिया। और 8.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' भी शामिल है या नही, और जिसका उत्तर ''ये भी कोई अधिकार होता है?'' में दिया।

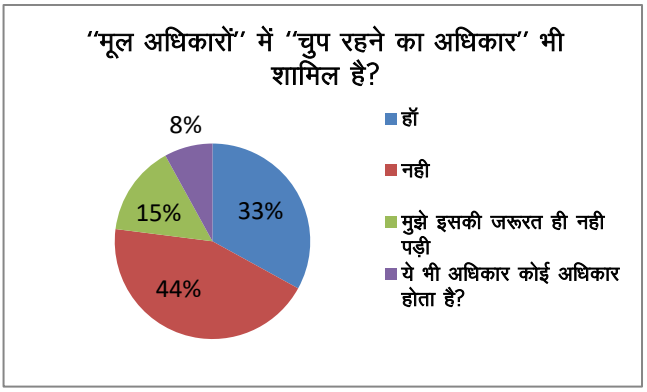

चित्र: 03

प्र. 04: क्या आप सहमत है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' भी शामिल है यह अधिकार अभियुक्तों को मिलना चाहिये?

उ. 04: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 38.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' शामिल है, जो कि अभियुक्तों को भी मिलना चाहिए जिसका उत्तर ''हॉ'' में दिया। तथा 30.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' शामिल है, जो कि अभियुक्तों को नही मिलना चाहिए, जिसका उत्तर ''नही'' में दिया। और 23.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' शामिल है, जो कि अभियुक्तों को भी मिलना चाहिए, जिसका उत्तर ''कभी–नही'' में दिया। और 9.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' शामिल है, जो कि अभियुक्तों को भी मिलना चाहिए, जिसका उत्तर ''कभी–कभी'' में दिया।

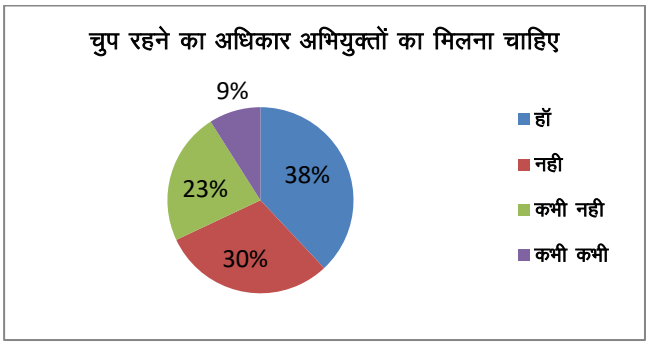

चित्र: 04

प्र. 05: क्या आप सहमत है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' भी शामिल है यह अधिकार अभियुक्तों के बचाव का एक अच्छा साधन है?

उ. 05: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 56.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि ''चुप रहने का अधिकार'' अभियुक्तों के बचाव का एक अच्छा साधन है, जिसका उत्तर ''हॉ'' में दिया। तथा 15.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि ''चुप रहने का अधिकार'' अभियुक्तों के बचाव का एक अच्छा साधन नही है, जिसका उत्तर ''नही'' में दिया। और 18.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि ''चुप रहने का अधिकार'' अभियुक्तों के बचाव का एक अच्छा साधन है, जिसका उत्तर ''कभी–कभी'' में दिया। और 11.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि ''चुप रहने का अधिकार'' अभियुक्तों के बचाव का एक अच्छा साधन है, जिसका उत्तर ''कभी–नही'' में दिया।

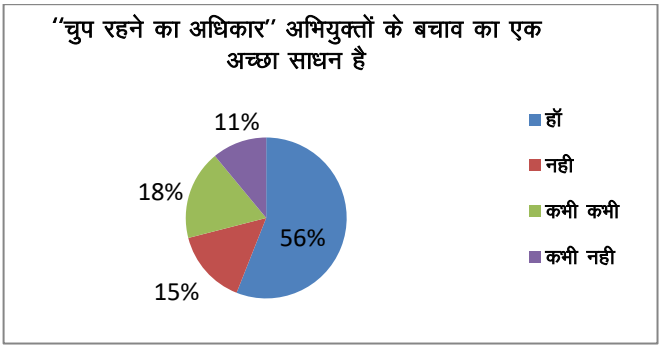

चित्र: 05

प्र. 06: क्या आप सहमत है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' को शामिल करने से न्याय में बिलम्ब होता है?

उ. 06: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 44.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' को शामिल करने से न्याय में बिलम्ब होता है, और ''हॉ'' में उत्तर दिया। तथा 30.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' को शामिल करने से न्याय में बिलम्ब नही होता है, और ''नही'' में उत्तर दिया। तथा 16.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' को शामिल करने से न्याय में बिलम्ब होता है, और ''कीभी–कभी'' में उत्तर दिया। तथा 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ''मूल अधिकारों'' में ''चुप रहने का अधिकार'' को शामिल करने से न्याय में बिलम्ब कभी–नही होता है, और ''कभी–नही'' में

उत्तर दिया।

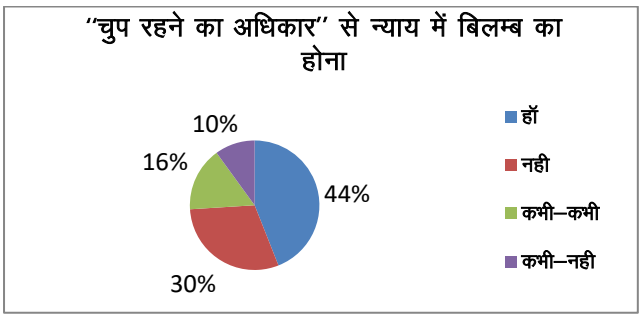

चित्र: 06

प्र. 07: क्या आप सहमत है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त "मूल अधिकारों" में "चुप रहने का अधिकार" को भी शामिल करने से समाज को फायदा कम होता है और नुकसान अधिक होता है?

उ. 07: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 48.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त "मूल अधिकारों" में "चुप रहने का अधिकार" को भी शामिल करने से समाज को फायदा कम होता है और नुकसान अधिक होता है, और "हॉ" में उत्तर दिया। तथा 18.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त "मूल अधिकारों" में "चुप रहने का अधिकार" को भी शामिल करने से समाज को फायदा कम होता है और नुकसान नही होता है, और "नही" में उत्तर दिया। और 34.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त "मूल अधिकारों" में "चुप रहने का अधिकार" को भी शामिल करने से समाज को फायदा कम होता है और नुकसान थोड़ा–बहुत होता है, और "थोड़ा–बहुत" में उत्तर दिया।

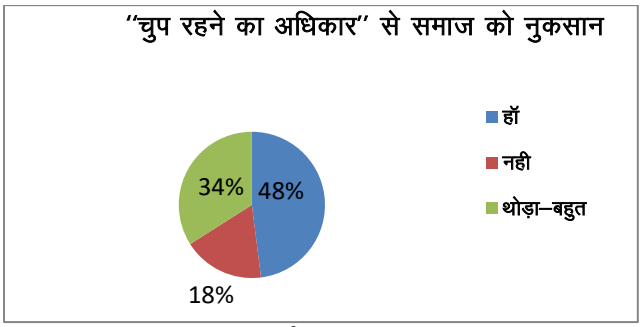

चित्र: 07

प्र. 08: क्या आप सहमत है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त "मूल अधिकारों" में "चुप रहने का अधिकार" भी शामिल है, में संशोधन की आवश्यकता है?

उ. 08: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 44.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त "मूल अधिकारों" में "चुप रहने का अधिकार" भी शामिल है, में संशोधन की आवश्यकता है, और "हॉ" में उत्तर दिया। तथा 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त "मूल अधिकारों" में "चुप रहने का अधिकार" भी शामिल है, में संशोधन की आवश्यकता नही है, और "नही" में उत्तर दिया। और 28.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त "मूल अधिकारों" में "चुप रहने का अधिकार" भी शामिल है, में संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन "थोड़ा–बहुत" में उत्तर दिया। और 8.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त "मूल अधिकारों" में "चुप रहने का अधिकार" भी शामिल है, में संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन "बिल्कुल भी आवश्यकता नही है" में उत्तर दिया।

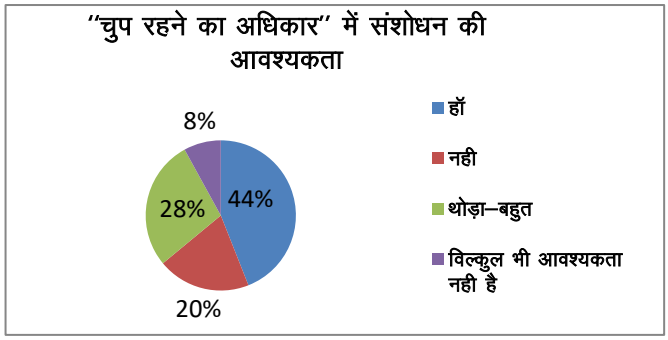

चित्र: 08

प्र. 09: क्या आप सहमत है कि "चुप रहने का अधिकार" को और अधिक विस्तृत कर साक्षियों के लिए भी प्रदान करना चाहिए ?

उ. 09: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 57.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि "चुप रहने के अधिकार" को और अधिक विस्तृत कर साक्षियों के लिए भी प्रदान करना चाहिए, और "हॉ" में उत्तर दिया। तथा 12.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि "चुप रहने के अधिकार" को और अधिक विस्तृत कर साक्षियों के लिए प्रदान नही करना चाहिए, और "नही" में उत्तर दिया। और 31.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि "चुप रहने के अधिकार" को और अधिक विस्तृत कर साक्षियों के लिए भी थोड़ा–बहुत प्रदान करना चाहिए, और उत्तर "थोड़ा–बहुत" में दिया।

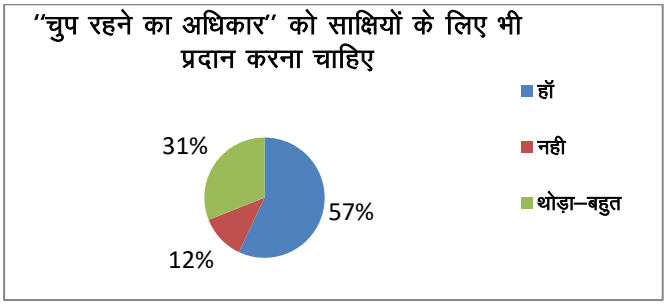

चित्र: 09

प्र. 10: क्या आप सहमत है कि "चुप रहने के अधिकार" को पुलिस पूछ–ताछ में लागू होना चाहिए ?

उ. 10: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 58.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि "चुप रहने के अधिकार" को पुलिस पूछ–ताछ में लागू होना चाहिए, और "हॉ" में उत्तर दिया। तथा 24.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि "चुप रहने के अधिकार" को पुलिस पूछ–ताछ में लागू नही होना चाहिए, और "नही" में उत्तर दिया। और 18.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि "चुप रहने के अधिकार" को पुलिस पूछ–ताछ में लागू होना चाहिए, लेकिन "व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है" में उत्तर दिया।

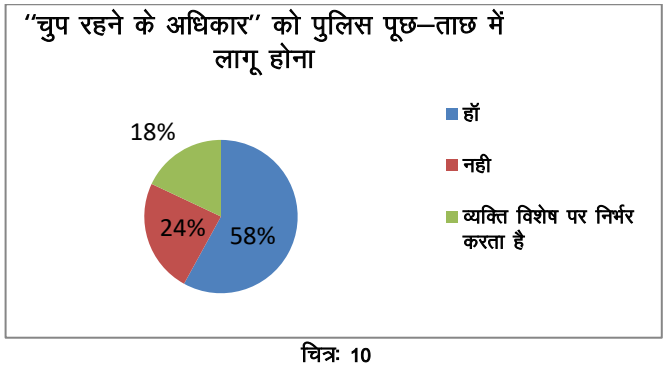

चित्र: 10

निष्कर्ष एवं सुझाव

उर्पयुक्त विवेचन और प्रश्नोत्तरों के आधार पर हम कह सकते है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त "मूल अधिकारों" में "चुप रहने का अधिकार" भी शामिल है। इस अधिकार के माध्यम से समाज के जिन लोगों को किसी वाद (केस) में झूठा फॅसा दिया जाता है। उनको न्याय दिलाने में यह अधिकार सहायक होता है। वही दूसरी ओर अभियुक्त को भी ऐसे प्रश्नों से निजात मिल जाती है। जिनके जबाब देने पर वह स्वयं में अपने प्रति गवाह बनने से बच जाता है। इस तरह अभियुक्त या आरोपी व्यक्ति से पुलिस या अन्य न्यायिक कर्मचारी गणों के द्वारा अनावश्यक प्रश्न जो कि उस वाद (केस) से सम्बन्धित नही है, के पूछे जाने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) द्वारा प्रदत्त अधिकार को उपयोग में लाते हुए उत्तर देने से मना कर सकता है। यदि हम प्रश्न संख्या 03 का अवलोकन करें तो पायेगें कि करीब 44.0 प्रतिशत लोगों को इस अधिकार की जानकारी ही नही है। यदि हम प्रश्न संख्या 04 का अवलोकन करें तो पायेगें कि करीब 30.0 प्रतिशत लोगों का मानना है कि अभियुक्तों को यह अधिकार नही मिलना चाहिये। यदि हम प्रश्न संख्या 09 का अवलोकन करें तो पायेगें कि करीब 57.0 प्रतिशत लोगों का मानना है कि अभियुक्तों के अलावा साक्षियों को भी यह अधिकार मिलना चाहिये।

उर्पयुक्त विवेचन के आधार पर सुझाव निम्नलिखित है–

1. "चुप रहने के अधिकार" को लागू करने के लिए कुछ माप दण्ड होने

चाहिये जिससे छोटे–मोटे अपराधों में ही अभियुक्तों को इसका फायदा मिलना चाहिए।

2. इस सम्बन्ध में सामण्ड का कबूतर खाने का सिद्वान्त लागू करना चाहिये जितना बड़ा अपराध हो उतनी छूट कम मिलनी चाहिए।
3. जब तक अपराधियों की निजी जानकारी नही होगी तब तक उनके अपराध करने के तीरीको एवं ठिकानों का पता लगाना मुश्किल होगा।

सन्दर्भ सूचि

[1] J.N. Pandey: The constitution of India: Central Law Agency: edition 2006, Page 207.
[2] AIR 1961 SCC 1808.
[3] AIR 1978 SC 1025.
[4] AIR 1980 SC 185.
[5] AIR 1953 SC 131.